राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाऐं, राजस्थान,जयपुर

क्रमांकः ई–20 / म0स्वा0कार्य0 / नियुक्ति 125 / 2017 /   दिनांकः–

परिपत्र

प्रायः देखने में आया है कि संबंधित नियंत्रण अधिकारियों द्वारा सीधी भर्ती–2013 के अन्तर्गत नवनियुक्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की कार्यग्रहण तिथि के संबंध में निर्देश हेतु प्रकरण निदेशालय को प्रेषित किये जाते हैं। निदेशालय के विभिन्न आदेशों द्वारा अभ्यर्थियों को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर नियुक्ति दी जाकर दस्तावेज सत्यापन हेतु प्रथम नियुक्ति स्थान पर उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया गया था, तत्पश्चात् कुछ आदेशों में संशोधन कर उन्हें अन्य जिलों के अधीन पदस्थापित किया गया था, जिसके क्रम में संबंधित अधिकारियों द्वारा कार्मिकों को नवीन संशोधित स्थान पर उपस्थिति देने हेतु कार्यमुक्त किया गया है।

अतः वित्तिय सलाहकार, मुख्यालय की राय अनुसार कार्मिकाओं द्वारा प्रथमतः दस्तावेज सत्यापन हेतु प्रस्तुत स्थान पर तत्संबंधित दिनांक को, जहां पर दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थिति प्रस्तुत की गई हो, को कार्यग्रहण तिथि मानते हुये नियमानुसार वेतन आहरण की कार्यवाही करावें।

नोटः–यदि किसी अभ्यर्थी के दस्तावेजों में कोई कमी (यथा न्यायिक प्रकरण, पुलिस सत्यापन सही नहीं पाये जाने अथवा शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में कमी एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र इत्यादि–2 के आधार पर) पाई जावें तो दस्तावेजों की दुरूस्ती तिथि से ही प्रथम कार्यग्रहण तिथि मानी जावें।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः ई–20 / म0स्वा0कार्य0 / नियुक्ति 125 / 2017 / 1114   दिनांकः– 21/7/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, चिकित्सा महाविद्यालय, राजस्थान।
2. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन–राजस्थान।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
4. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
5. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. आदेश / रक्षित पत्रावली।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर

Desktop\ANM\ANM order 2017